

26/12/19

पत्रावली पेश हुई। वकुलाय उपर।

वकील इतिवादी ने 13/11/19 को

पत्र पेश कर निवेदन किया कि

कि प्रकरण में माननीय न्यायालय

अपर जिला सेशन न्यायालय द्वारा

वकशीश नामा को निरस्त कर दिया

गया है अतः वादी का वाद खारिज

मामला गवने। उक्त पत्र का

आज रेकॉर्ड पर लेकर शामिल

(Signature)

रीख
क्रम

हुकम या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज

हुकम तामील
नंबर व
तारीख

पत्रावली दिथा। पक्षी वकील ने प्राथना
पत्र देवा कर निवेदन किया कि पक्ष कारण
के बीच समझौता हो गया है वादनी अपना
वाद कागो चलाना नहीं चाहती है अतः
वाद जरिये शजीनामा विद्वो पक्षी (इमने
पत्रावली का अवलोकन व मनन किया।
वादी पक्ष द्वारा वाद विद्वो दिष्टे जाने से
वादी का वाद जरिये विद्वो स्वारीज किया
जाता है। निगम सरे इजलास सुनाया
गया। पत्रावली के सल सुनाए होकर
नम्बर स कर हो।

(सुना)
उपखण्ड अधिकारी
सुमेरपुर, जिला-पाली

सुमेरपुर
सुना

